

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

e-mail-dcourtsag-mp@nic.in contact no.07582-263701

-: : निविदा : :-

क्रमांक

4696

/दो-12-14/65

सागर दिनांक 26/07/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर सागर में वर्ष 2025-26 के लिये वाहन स्टैंड की निविदायें अंतिम तिथि दिनांक 12-08-2025 को सायंकाल 5:00 तक विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तों के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

शर्त :-

- (1) वाहनों को स्टैंड पर रखने की दरें :-
 - (A) साईकिल- रुपये 5/-प्रतिदिन।
 - (B) मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड टू-व्हीलर रुपये 10/- प्रतिदिन।
 - (C) चार पहिया वाहन रुपये 20/- प्रतिदिन।
 - (D) न्यायिक अधिकारियों/तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अभिभाषक संघ सदस्यों को अपने वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है। उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निःशुल्क पात्रता होगी।
 - (E) नवीन न्यायालय भवन के साईड वाले निर्धारित बने शेड तथा स्थान में एवं पुराने न्यायालय भवन के पीछे वाले निर्धारित स्थान एवं शेड पर आम जनता के वाहनों को रखने के लिये निर्धारित शुल्क वसूल करने का अधिकार अनुबंध ग्रहीता को होगा।
- (2) लोक कल्याण हेतु ठंडे पानी के मटके/प्याउ स्टैंड के समीप स्थापित करनी होगी।
- (3) वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध ग्रहीता की होगी।
- (4) अर्नेस्ट मनी रुपये 30,000/- (अंकन तीस हजार रुपये मात्र) की चार गुना राशि 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबंध दर से उच्चतम अनुबंध दर की निविदायें विचारणीय होगी।
- (5) निविदादाता को निविदा फार्म के साथ राशि रुपये 30,000/- (अंकन तीस हजार रुपये मात्र) की अर्नेस्ट मनी एवं शेष राशि रुपये 90,000/- (अंकन नब्बे हजार रुपये मात्र) 15 दिवस के अन्दर जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय सागर में एम.पी.टी.सी.-6 की रसीद में जमा कर रसीद की छाँयाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करने पर ही ई-निविदा अंतिम रूप से स्वीकार की जाकर दिनांक 02-09-2025 से दिनांक 01-08-2026 हेतु वाहन स्टैंड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने पर अनुबंध की शेष राशि तीन दिन में जमा कर वाहन स्टैंड संचालन की अनुमति दी जावेगी। अर्नेस्ट मनी/अमानत राशि जिला नाजिर एम. पी.टी.सी.-6 की रसीद में प्राप्त कर आगामी आदेश पर्यन्त सुरक्षित रखेंगे।
- (6) विभागीय समिति की सिफारिस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के अनुमोदन पर सूचित करने के पश्चात् अधिकतम अधिमान्य निविदा की स्वीकृति मान्य होने पर शेष अनुबंध की राशि निर्धारित समयावधि तीन दिवस में अदा न

//2//

- करने पर अर्नेस्ट मनी शासन हित में राजसात कर वित्तीय अधिकतम दर से संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- (7) स्वीकृत निविदा के अतिरिक्त शेष निविदादार अपनी-अपनी अमानत राशि नियमानुसार 15 दिवस के अंदर प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (8) उक्त ई-निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे।
- (9) शासकीय कारणों से उक्त ई-निविदा किसी समय किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
- (10) वार्षिक अनुबंध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः अनुबंध प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।
- (11) किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा जिले के लिये बनाई गई शिकायत निवारण समिति जिसमें जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य सदस्य होंगे के द्वारा किया जायेगा।

संलग्न :- निविदा फार्म


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म0प्र0)

26.07.2025

—: निविदा फार्म :—

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

- 1- Rate Quotation of the Tender -----
- 2- Earnest Money Rupees. 30,000/- Will be deposited before approval of Tender by Head of Department Office.
- 3- M.P.T.C.-6 Receipt No. ----- Enclose copy.
- 4- Pan No. ----- Enclose copy of current income Tax return.
- 5- GST No.-----Enclose copy of live registration.

The terms & conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature -----
Name & Address with Seal &
date-----

Phone No.-----
Mobile No.-----
Fax-----
E-mail-----